न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 48 / 18, 27 / 18 RCMS id : 2018 / 00084

बाबूलाल आत्मज श्रीकृष्ण जी, आयु 60 वर्ष, जाति माली, निवासी गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2. जिला कलक्टर, कोटा

– (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 26.02.2020

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री असगर जमील खान

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, के अन्तर्गत बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाईन निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम गन्दीफली में खसरा नम्बर 542 की 0.89 हैक्टर व खसरा नम्बर 619 की 0.45 हैक्टर भूमि कुल किता 2 की 0.69 हैक्टर, किस्म बंजड स्थित चली आ रही है, जो वर्तमान में सिवायचक राज्य सरकार के खाते में दर्ज है।
   - उपरोक्त भूमि पर वादी के पिता श्रीकृष्ण जी का व उनकी मृत्यु बाद वादी का पिछले 80 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका काफी मेहनत कर भूमि को काबिल काश्त बना कर काश्त करता चला आ रहा है। वादी व उसके पिता ने उक्त भूमि को कफी पैसा खर्च कर उपजाऊ बनाया है, जिसमें काफी खर्चा हुआ है। उक्त भूमि की काश्त से ही वादी अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है।
   - कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी के पिता व वादी के खिलाफ धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू उक्ट की कार्यवाही की जाती रही है। इसके जुर्माना व लगान भी वादी ही जमा करता चला आ रहा है।
   - प्रतिवादी नं. 1 द्वारा सिवायचक भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि पटवारी हल्का द्वारा खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैरमुस्तकील काश्त में व पी–14 की नकल में वादी द्वारा उपरोक्त भूमि पर काश्त किये जाने का इन्द्राज हो रहा है।
   - कब्जे काश्त के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत व राजस्थान सरकार के आदेश संख्या

Scanned by CamScanner

6(7)राज–4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के आदेश के क्रम में कब्जे के आधार पर उक्त भूमि को वादी अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है व उपरोक्त भूमि वादी अपने नाम खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

- नियमन किये जाने के स्थान पर प्रतिवादी द्वारा धारा 91 के नोटिस देकर लगान आदि वसल करने की कार्यवाही की जाती रही है। दिनांक 29.06.2018 को प्रतिवादी नं. 1 के कर्मचारी पटवारी ने बताया बताया है कि मेरे कब्जे काश्त की भूमि पर गांव की तलाई बनायी जा रही है। इस कारण वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर देगें तथा वादी की बोई जाने वाली फसल को जप्त कर लेंगें।
- वादी ने पटवारी की कहा कि उक्त जमीन पर हमारा अनवरत कब्जा है। गांव में नहर निकली हुई है और पानी पर्याप्त मात्रा में है इसलिये वादी की भूमि पर तलाई बनाया जाना आवश्यक नहीं है। इस कारण वादी उक्त भूमि का नियमन कराने का अधिकारी है, प्रतिवादी की नियमन की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया। यदि प्रतिवादी के उक्त कृत्य को नहीं रोका गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। इस प्रकार वादी के 80 वर्षो के कब्जे, वादी के नाम से धारा 91 की कार्यवाही होने, वादी द्वारा जुर्माना जमा करने के बावजूद वादी की आराजी का नियमन नहीं करने व दिनांक 29.06.2018 को बेदखल करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इसी कारण वादी के लिये स्थायी निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है।
- वादी का वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण राज्य सरकार को मियादी दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि यदि उक्त अवधि का इंतजार किया गया तो वादी को बेदखल कर दिया जावेगा एवं वाद का प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जावेगा। इस कारण माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के साथ अलग से संलग्न है। वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।
- अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम गन्दीफली की विवादित आराजी खसरा नम्बर 542 की 0.89 हैक्टर व खसरा नम्बर 619 की 0.45 हैक्टर भूमि कुल किता 2 की 0.69 हैक्टर का वादी के नाम नियमन किया जावे तथा आराजी को तलाई नहीं बनाया जावे। विवादित आराजी को सिवायचक खाते से कम की जाकर वादी के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे और न ही वादी को बेदखल करे।
- वादी द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न राजस्व दस्तावेजात की फोटोप्रतियां पेश की गई है :–
  1. जमाबन्दी संवत 2071–2074
  2. धारा 91 के नोटिस, 1 लगायत 15
  3. जुर्माना रशीद बाबुलाल, 1 लगायत 16
  4. जुर्माना रशीद श्रीकृष्ण जी, 1 लगायत 38

Scanned by CamScanner

2. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादीगण तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी की तलवी के बावजूद भी कोई उपस्थित हुआ फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई।

3. वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम गन्दीफली में वादी के खाते व कब्जे काश्त की शामलाती आराजी खसरा नम्बर 577, 621, 625 रकबा 2.95 हैक्टर आराजी स्थित है। इसी आराजी के पास विवादित खसरा नम्बर 542 व 619 स्थित है जिन पर भी वादी अपने पिता के समय से काबिज काश्त है। नियमित कब्जे के आधार पर, यह आराजी अब तक वादी के खाते दर्ज हो जानी चाहिये थी। प्रतिवादी ने उक्त आराजी का वादी के नाम नियमन करने के स्थान पर इस आराजी को तलाई बनाये जाने के उद्देश्य से वादी को बेदखल करने के लिये पटवारी को भेज दिया। अतः निवेदन है कि राजकीय नियमों व परिपत्रों तथा विवादित आराजी पर वादी के विगत 80 वर्षो के कब्जे को दृष्टिगत रखते हुये विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा प्रतिवादी को, वादी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने विगत वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये है। वादी की ओर से अपने वाद पत्र के साथ कोई भी प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। उन दस्तावेजात की फोटोप्रतियां पेश की गई है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इनमें भी वादी की ओर से जो जमाबन्दी संवत 2071–2074 पेश की गई है वो उसके स्वयं के खाते की जमाबन्दी है, इससे यह जरूर साबित होता है कि विवादित भूमि की काश्त से ही वादी अपने परिवार का पालन पोषण करता नहीं चला आ रहा है। धारा 91 के नोटिस वादी के, विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज होना दर्शाते है। वादी द्वारा जो जुर्माना रशीदें पेश की गई है उनमें यह अंकित नहीं है कि ये रशीदें किस उद्देश्य की है और किन खसरा नम्बर से सम्बन्धित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

Scanned by CamScanner

4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner